

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, नवादा।

पटना, दिनांक- 28/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹2459.16700 लाख (चौबीस करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार सात सौ रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 57, दिनांक- 22.09.2014 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख) की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०- 93, दिनांक- 13.01.2014 द्वारा राज्य के 24 शहरी स्थानीय निकायों में पेय जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹33364.46900 लाख (तीन अरब तैंतीस करोड़ चौसठ लाख छियालीस हजार नौ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प में अंकित तालिका के क्रमांक- 5 में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹2459.16700 लाख (चौबीस करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार सात सौ रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश संख्या- 55, दिनांक- 20.01.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 78, दिनांक- 20.01.2014, राज्यादेश संख्या- 15, दिनांक- 24.07.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 25, दिनांक- 24.07.2014, राज्यादेश संख्या- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 57, दिनांक- 22.09.2014 तथा राज्यादेश संख्या- 110, दिनांक- 24.02.2016 एवं आवंटनादेश संख्या- 111, दिनांक- 24.02.2016 के द्वारा क्रमशः ₹1106.00 लाख (ग्यारह करोड़ छः लाख रु०) मात्र, ₹440.00 लाख (चार करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र, ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र तथा ₹436.08349 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार तीन सौ उनचास रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित करते हुए कुल ₹2348.08349 लाख (तेईस करोड़ अड़तालीस लाख आठ हजार तीन सौ उनचास रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा के पत्रांक- 3891, दिनांक- 31.12.2016 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय राज्यादेश सं०- 55, दिनांक- 20.01.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 20.01.2014 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹1106.00 लाख (ग्यारह करोड़ छः लाख

रु०) मात्र में से ₹553.00 लाख (पांच करोड़ तिरपन लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। इसी प्रकार विभागीय राज्यादेश सं०- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 57, दिनांक- 22.09.2014 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल 919.00 लाख (नौ करोड़ उन्नीस लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक- 298, दिनांक- 07.04.2016 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण-पत्र दिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 55, दिनांक- 20.01.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 20.01.2014 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹1106.00 लाख (ग्यारह करोड़ छः लाख रु०) मात्र में से ₹553.00 लाख (पांच करोड़ तिरपन लाख रु०) मात्र की अनिकासी की राशि विभागीय राज्यादेश सं०- 237, दिनांक- 27.02.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 238, दिनांक- 27.02.2017 के द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित की जा चुकी है।

3. वर्णित स्थिति नगर परिषद, नवादा क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश सं०- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 57, दिनांक- 22.09.2014 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में तत्काल ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०-346, दिनांक-28/3/17 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	विभागीय राज्यादेश सं० एवं दिनांक तथा आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	स्वीकृत / आवंटित राशि	कोषागार से निकासी की गयी राशि	कोषागार से अनिकासी की राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण वर्तमान में आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद, नवादा	47 / 22.09.2014 तथा 57 / 22.09.2014	366.00	0.00	366.00	366.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र।

4. योजना बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार की गयी है, जो इस योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। योजना का कार्यान्वयन Design Build Operate (DBO) mode में किया जाएगा। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य जल पर्षद की होगी। रख-रखाव पर व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

5. आवंटित कुल ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. (क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-7 के अनुरूप कुल आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र में से ₹344.00 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011920101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-7 के अनुरूप कुल आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र में से ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष 0102- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215017890102 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक

अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

8. सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।

9. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. जिला पदाधिकारी, नवादा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।

13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से 17

28-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-06/2013 347 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-28/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञानद.

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 28/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹2459.16700 लाख (चौबीस करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार सात सौ रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 57, दिनांक- 22.09.2014 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख) की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०- 93, दिनांक- 13.01.2014 द्वारा राज्य के 24 शहरी स्थानीय निकायों में पेय जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹33364.46900 लाख (तीन अरब तैतीस करोड़ चौसठ लाख छियालीस हजार नौ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प में अंकित तालिका के क्रमांक- 5 में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹2459.16700 लाख (चौबीस करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार सात सौ रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश संख्या- 55, दिनांक- 20.01.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 78, दिनांक- 20.01.2014, राज्यादेश संख्या- 15, दिनांक- 24.07.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 25, दिनांक- 24.07.2014, राज्यादेश संख्या- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 57, दिनांक- 22.09.2014 तथा राज्यादेश संख्या- 110, दिनांक- 24.02.2016 एवं आवंटनादेश संख्या- 111, दिनांक- 24.02.2016 के द्वारा क्रमशः ₹1106.00 लाख (ग्यारह करोड़ छः लाख रु०) मात्र, ₹440.00 लाख (चार करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र, ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र तथा ₹436.08349 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार तीन सौ उनचास रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित करते हुए कुल ₹2348.08349 लाख (तेईस करोड़ अड़तालीस लाख आठ हजार तीन सौ उनचास रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

✓

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा के पत्रांक- 3891, दिनांक- 31.12.2016 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय राज्यादेश सं०- 55, दिनांक- 20.01.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 20.01.2014 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹1106.00 लाख (ग्यारह करोड़ छः लाख रु०) मात्र में से ₹553.00 लाख (पांच करोड़ तिरपन लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। इसी प्रकार विभागीय राज्यादेश सं०- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 57, दिनांक- 22.09.2014 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल 919.00 लाख (नौ करोड़ उन्नीस लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक- 298, दिनांक- 07.04.2016 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण-पत्र दिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 55, दिनांक- 20.01.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 20.01.2014 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹1106.00 लाख (ग्यारह करोड़ छः लाख रु०) मात्र में से ₹553.00 लाख (पांच करोड़ तिरपन लाख रु०) मात्र की अनिकासी की राशि विभागीय राज्यादेश सं०- 237, दिनांक- 27.02.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 238, दिनांक- 27.02.2017 के द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित की जा चुकी है।

3. वर्णित स्थिति नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश सं०- 47, दिनांक- 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 57, दिनांक- 22.09.2014 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में तत्काल ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	विभागीय राज्यादेश सं० एवं दिनांक तथा आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	स्वीकृत/ आवंटित राशि	कोषागार से निकासी की गयी राशि	कोषागार से अनिकासी की राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद्, नवादा	47/22.09.2014 तथा 57/22.09.2014	366.00	0.00	366.00	366.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. योजना बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार की गयी है, जो इस योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। योजना का कार्यान्वयन Design Build Operate (DBO) mode में किया जाएगा। इसके रख-रखाव की

जिम्मेवारी भी बिहार राज्य जल पर्षद की होगी। रख-रखाव पर व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

5. स्वीकृत कुल ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। तत्पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. (क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-7 के अनुरूप कुल स्वीकृत राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र में से ₹344.00 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011920101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-7 के अनुरूप कुल स्वीकृत राशि ₹366.00 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र में से ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष 0102- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र

कोड- P 2215017890102 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

8. सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।

9. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01-06/2013 के पृष्ठ सं०- 134 /टि० पर दिनांक- 27.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 134... /टि० पर दिनांक- 27.03.2017 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. जिला पदाधिकारी, नवादा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।

14. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा /संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-06/2013 346 - /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 28/3/17

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05-प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

3/17